माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेन्स एजेंसी (मुद्रा)

मुद्रा भरोसे की पूंजी

'मुद्रा' का उद्गम

- **एनएसएसओ के सर्वेक्षण (2013) के अनुसार देश में ` 5.77 करोड़ लघु व्यवसाय इकाइयाँ हैं, जिनमें से अधिकांश व्यक्तिगत स्वामित्व वाली हैं तथा जो छोटी-छोटी विनिर्माण व्यवसायिक अथवा सेवा-गतिविधियाँ संचालित करती हैं। इनमें से अधिकतर स्वयं खाता उद्यम(ओएई) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के हैं, जिनमें से अधिकांश को संस्थागत वित्त नहीं मिल पाता है। ऐसी सूक्ष्म लघु व्यवसाय इकाइयों को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराकर इन्हें सकल घरेलू उत्पाद तथा रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया जा सकता है।**
- **इन उद्यमों को मुख्यधारा में लाने से न केवल इन उद्यमियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा बल्कि ये अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देगा जिससे आय का सम्यक् संवितरण होगा एवं गरीबी दूर होगी।**
- **वर्तमान में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि.(मुद्रा) गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में गठित हुआ है और बाद में इसे सांविधिक अधिनियम के ज़रिए बैंक में बदल दिया जाएगा। यह एजेंसी उन सभी अल्प-वित्त संस्थाओं के विनियमन, पंजीकरण तथा पुनर्वित्तीयन के लिए उत्तरदायी होगी, जो विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा संबंधी कार्यकलापों में संलग्न सूक्ष्म/लघु व्यवसाय निकायों को ऋण देने का व्यवसाय करती हैं। बैंक लघु/सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों को वित्त उपलब्ध करानेवाले अंतिम छोर के वित्तपोषकों को वित्त-उपलब्ध कराने हेतु राज्य-स्तरीय/क्षेत्र-स्तरीय समन्वयकों के साथ सहभागिता करेगा।**
- **मुद्रा का शुभारंभ सिडबी की सहायक संस्था के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 08 अप्रैल, 2015 को किया गया। इसका परिचालन 13 अप्रैल 2015 से शुरू हुआ है।**

अल्प वित्त एवं 'मुद्रा'

- **निम्नलिखित क्षेत्रों में मुद्रा की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी :**

1) **सूक्ष्म उद्यम वित्तपोषण व्यवसाय के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों का निर्धारण**
2) **अल्प वित्त संस्था निकायों का पंजीकरण**
3) **अल्प वित्त संस्था निकायों का पर्यवेक्षण**
4) **अल्प वित्त संस्था निकायों को मान्यता/रेटिंग प्रदान करना**
5) **वित्तीयन की उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तीयन पद्धतियों का निर्धारण, ताकि अति ऋणग्रस्तता से बचा जा सके और ग्राहक संरक्षण के उचित सिद्धान्त व वसूली-पद्धतियाँ सुनिश्चित की जा सकें।**
6) **सूक्ष्म/ लघु उद्यमों को अंतिम बिन्दु पर ऋण प्रदायगी के अभिशासन के लिए मानक प्रसंविदाओं का विकास**
7) **अंतिम बिन्दु के लिए सटीक प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देना**
8) **बैंकों, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों एवं अल्प वित्त संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म उद्यमों को उपलब्ध कराए जा रहे ऋणों/संविभागों को गारंटी प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी योजना बनाना और चलाना।**
9) **क्षेत्र में विकास एवं संवर्द्धनपरक गतिविधियों को सहायता प्रदान करना**
10) **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म व्यवसायों को अंतिम बिन्दु पर ऋण प्रदायगी के उद्देश्य से अच्छी व्यवस्था निर्मित करना।**

मुद्रा-परिदृष्टि

" पिरामिड के निम्नतम स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए एकीकृत वित्तीयन एवं सहायता सेवा-प्रदाता बनना, जो सर्वोत्कृष्ट होने के साथ-साथ विश्व-स्तर की सर्वोत्तम पद्धतियों तथा मानकों के अनुरूप हो।"

मुद्रा-ध्येय

"आर्थिक सफलता तथा वित्तीय सुरक्षा की प्राप्ति हेतु अपनी सहभागी संस्थाओं के साथ मिलकर समावेशी, टिकाऊ एवं मूल्य-आधारित उद्यमिता-संस्कृति निर्मित करना।"

मुद्रा-उद्देश्य

हमारा मूल उद्देश्य सहभागी संस्थाओं के विकास एवं संवर्द्धन तथा सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की संवृद्धि के लिए पारितंत्र के निर्माण के ज़रिए समावेशी एवं टिकाऊ तरीके से विकास हासिल करना है।

<u>मुद्रा के उत्पाद/ सुविधाएं</u>

- **` 50,000/- से ` 10 लाख के बीच की ऋण जरूरत वाली सूक्ष्म इकाइयों के लिए पुनर्वित्त उत्पाद तथा आगे ऋण इत्यादि देने के लिए अल्प वित्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता। मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नामक योजना के अंतर्गत सूक्ष्म व्यवसायों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करेगा। अन्य उत्पाद इस क्षेत्र को विकास सहयोग देने के लिए हैं। मुद्रा के अन्य उत्पादों का गुलदस्ता नीचे दिया गया है। ये सारी पेशकश लाभार्थियों के संपूर्ण वर्गों को लक्षित कर शुरू की गयी हैं।**

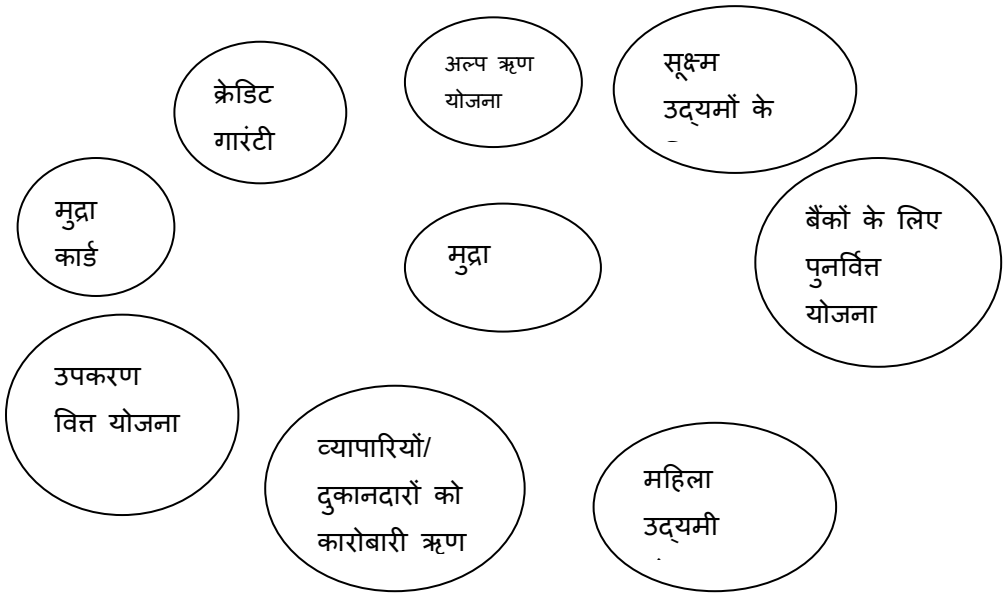

आकृति 1 - मुद्रा की पेशकश

- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, मुद्रा ने पहले ही अपने प्रारंभिक उत्पाद/ योजनाओं का निर्धारण कर लिया है। इन योजनाओं को 'शिशु ', 'किशोर' तथा 'तरुण' नाम दिया गया है। ये योजनाएं लाभार्थी सूक्ष्म इकाई/ उद्यमों की वृद्धि/ विकास तथा**

निधीयन जरूरतों के स्तर को इंगित करती हैं तथा अगले चरण में बढ़ने/ वृद्धि करने के लिए संदर्भ बिन्दु भी प्रदान करती हैं -

- शिशु - ` 50,000/- तक के ऋणों को कवर करेगी
- किशोर - ` 50,000/- से अधिक तथा ` 5 लाख तक के ऋणों को कवर करेगी
- तरुण - ` 5 लाख से अधिक तथा ` 10 लाख तक के ऋणों को कवर करेगी

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कुल ऋण का कम से कम 60% ऋण शिशु श्रेणी इकाइयों को दिया जाए और शेष ऋण राशि किशोर एवं तरुण श्रेणियों में जाए।

- शिशु, किशोर तथा तरुण इकाइयों के विकास एवं वृद्धि के ढांचे तथा समग्र उद्देश्य के भीतर, जिन उत्पादों की मुद्रा द्वारा घोषणा के स्तर पर पेशकश की गई है वे विभिन्न क्षेत्रों/ व्यवसाय गतिविधियों तथा व्यवसाय/ उद्यम घटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं -

- क्षेत्र/ गतिविधि विशिष्ट योजनाएं
- अल्प ऋण योजना(एमसीएस)
- वाणिज्यिक बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए पुनर्वित्त योजना
- महिला उद्यमी योजना
- सूक्ष्म इकाई ऋण योजना

- मुद्रा द्वारा योजनाएं एवं नवोन्मेषी उत्पाद बनाये जा रहे हैं, जिन्हें मुद्रा द्वारा आगामी दिनों में लागू किया जाएगा और जिनकी विशिष्टताएँ नीचे प्रस्तुत की गई हैं -
- <u>क्षेत्र/ गतिविधि केन्द्रित योजनाएं</u>

अधिक से अधिक लाभग्राहियों को समाहित करने तथा विशिष्ट व्यवसाय़ गतिविधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षेत्र/ गतिविधि केन्द्रित योजनाएं बनाई जाएँगी। शुरूआत में, कतिपय गतिविधियों/ क्षेत्रों के व्यवसायों के उच्चतर संकेन्द्रण पर आधारित योजनाएं निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित की जा रही हैं -

- भूतल परिवहन क्षेत्र/ गतिविधि - इस योजना में अन्य के साथ-साथ उन इकाइयों को सहायता दी जाएगी जो मालवाहक तथा व्यक्तिगत परिवहन जैसे ऑटो

रिक्शा, लघु मालवाहक परिवहन गाड़ियों, तिपहियों, ई-रिक्शों, सवारी कारों, टैक्सियों आदि जैसी परिवहन तथा व्यक्तिगत गाड़ियों की खरीद करेगी।

- सामूहिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों जैसे सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम्नेजियम, बुटीक, सिलाई दुकान, ड्राइ क्लीनिंग, साइकिल एवं मोटर साइकिल मरम्मत दुकान, डीटीपी एवं फोटोकॉपी सुविधा, दवा दुकान, कूरियर एजेन्ट आदि के लिए ऋण सहायता।
- खाद्य उत्पाद क्षेत्र - निम्नलिखित गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाएगी जैसे - पापड़ बनाना, अचार बनाना, जैम/ जेली बनाना, ग्रामीण स्तर पर कृषि उत्पाद संरक्षण, मिठाई की दुकानें, लघु सेवा खाद्य स्टॉल, एवं दिन प्रतिदिन की कैटरिंग/ कैन्टीन सेवाएं, कोल्ड चेन गाड़ियाँ, शीत गृह, बर्फ बनाने वाली इकाइयां, आइसक्रीम बनाने वाली इकाइयां, बिस्कुट, ब्रेड एवं बन बनाने वाली इकाइयां, आदि।
- टेक्टाइल उत्पाद क्षेत्र/ गतिविधि - हथकरघा, विद्युतकरघा, चिकनकारी, जरी एवं जरदोजी कार्य, परंपरागत इम्ब्रॉयडरी एवं हाथ के काम, पारंपरिक रंगरेजी एवं मुद्रण, कपड़ों के डिजाइन, बुनाई, सूत कताई, कम्प्यूटरीकृत इम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग एवं नॉन गारमेंट वस्त्र उत्पाद जैसे कि बैग बनाने, गाड़ी की एक्सेसरीज, फर्नीशिंग एक्सेसरीज आदि कार्यकलापों के लिए सहायता।

भविष्य में, अन्य क्षेत्रों/ गतिविधियों के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती रहेंगी।

- <u>माइक्रो ऋण योजना</u>

अल्प वित्त संस्थाओं व्यक्तियों/ व्यक्तियों के समूहों/ संयुक्त देयता समूहों(जेएलजी)/ स्व-सहायता समूहों(एसएचजी) को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास(एमएसएमईडी) अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत पात्र आस्तियों के सृजनार्थ, आगे ऋण देने हेतु, समय पर तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ताकि वे कृषि इतर आय-अर्जक गतिविधियां स्थापित/ संचालित कर सकें।

- <u>सूक्ष्म उद्यम ऋण योजना</u>

वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं को, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास(एमएसएमईडी) अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उद्यम तथा कृषि इतर आय-

अर्जक गतिविधियां स्थापित/ संचालित करने के लिए व्यक्तियों को आगे ऋण प्रदायन के लिए समय पर तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु जहां प्रति लाभार्थी ऋण की राशि `50,000/- से `10 लाख के बीच में हो।

- **<u>वाणिज्य बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ सहकारी बैंकों के लिए पुनर्वित्त योजना(आरएसबी)</u>**

  वाणिज्य बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ अनुसूचित सहकारी बैंकों द्वारा एमएसएमईडी अधिनियम के अन्तर्गत सूक्ष्म वित्त/ सूक्ष्म उद्यमों को दिए गए ऋणों को पुनर्वित्त के माध्यम से उनकी तरलता को बढ़ाना। इन ऋणों का आकार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र उद्यमों के लिए प्रति उद्यम/ उधारकर्ता `10 लाख तक रहेगा।

- **<u>महिला उद्यमी योजना</u>**

  अल्प वित्त संस्थाओं को समय पर तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ताकि वे महिलाओं/ महिलाओं के समूहों/ संयुक्त देयता समूहों(जेएलजी)/ स्व-सहायता समूहों(एसएचजी) को आगे उधार दे सकें, जिससे कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी अर्ह संपत्तियों का सृजन कर सकें, जोकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास(एमएसएमईडी) अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने/ चलाने हेतु अपेक्षित है तथा कृषि- इतर आय-अर्जक गतिविधियां चला सकें।

<u>मुद्रा कार्ड</u>

मुद्रा कार्ड ऋण को लचीला बनाने और आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया नवोन्मेषी उत्पाद है। मुद्रा कार्ड एक ओवरड्राफ्ट सीमा होगी जिसका परिचालन रूपया आधारित डेबिट कार्ड से होगा। इस कार्ड को बैंक सीधे या अल्प वित्त संस्थाओं के सहयोग से जारी कर सकते हैं। मुद्रा कार्ड मुद्रा बैंक तथा अल्प वित्त संस्थाओं का को-ब्रांडेड कार्ड होगा। मुद्रा क्रेडिट गारंटी तथा उत्पाद के लिए ऋण वृद्धि सहायता प्रदान करेगा।

<u>प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)</u>

माननीय प्रधानमंत्री ने 08अप्रैल,2015 को मुद्रा लि. के शुभारंभ के साथ-साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ भी किया। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने 14मार्च,2015 के पत्र के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों /

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ राज्य सहकारी बैंकों / शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि उन्होंने रु10 लाख से कम के जो ऋण कृषीतर क्षेत्र की आय अर्जक गतिविधियों के लिए दिए हों उन्हें पीएमएमवाई के अंतर्गत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत करें। प्रधानमंत्री जन धन योजना में दिया जा रहा रु 5000 का ओवरड्राफ्ट भी पीएमएमवाई ऋण में शामिल होगा। मुद्रा पीएमएमवाई को भी पुनर्वित्त / ऋण गारंटी सहायता प्रदान करेगा।

पीएमएमवाई का लाभ कैसे प्राप्त करें

- जो उधारकर्ता पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण लेना चाहते हों वे समुचित व्यवसाय योजना तथा ऋण आवेदन के साथ अपने क्षेत्र स्थित सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र की किसी भी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
- ऋणदात्री संस्था ऋण आवेदन पर विधिवत कार्रवाई के बाद ऋण मंजूर करेगी।
- उधारकर्ता को ऋणदात्री संस्था की अपेक्षानुसार ऋण दस्तावेज निष्पादित करने होंगे और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
- ऋण छोटी कारोबारी गतिविधियों / सूक्ष्म उद्यमों के लिए दिया जाएगा।

मुद्रा हेल्पलाइन

- मुद्रा उत्पादों की जानकारी तथा अन्य सहायता के लिए उधारकर्ता मुद्रा के मुंबई स्थित कार्यालय अथवा चिह्नित मुद्रा नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं जिनके ब्यौरे (फोन नंबर व मेल आईडी सहित) मुद्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उधारकर्ता मुद्रा की वेबसाइट www.mudra.org.in पर जा सकते हैं तथा help@mudra.org.in. पर कोई भी जानकारी/ सुझाव प्रेषित कर सकते हैं।

मुद्रा ने सिडबी के क्षेत्रीय कार्यालयों/ शाखा कार्यालयों में प्रथम संपर्क व्यक्ति के तौर पर कार्य करने के लिए नोडल अधिकारी चिह्नित किए हैं।